"SNA-SPARSH" कार्यपद्धतीच्या प्रयोजनार्थ केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत सर्व अभियानांसाठी समन्वय अधिकारी तसेच एकल समन्वय यंत्रणा यांची नियुक्ती करण्याबाबत.

# महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. बीजीटी-२०२५/प्र.क्र. ८९/ अर्थसंकल्प

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-३२.

दिनांक: १३ ऑगस्ट, २०२५

#### वाचा :-

- 9. भारत सरकार वित्त मंत्रालय यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.F.No.9(9३)/PFMS/FCD/२०२०, दि.२३.०३.२०२१.
- २. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषाप्रशा-४, दि.०१.०७.२०२१.
- ३. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली विभाग यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र. F.No.१ (२७)/PFMS/२०२०, dated १३.०७.२०२३.
- ४. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली विभाग यांचे कार्यालयीन ज्ञापन क्र.F.No. १ (२७)/PFMS/२०२०, dated २१.०५.२०२४.
- ५. वित्त विभाग परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४७/कोषा प्रशा-४, दि.११.०६.२०२४.
- ६. संचालनालय, ले.व को. यांचे क्र.संलेवको/सुधारणा/न.क्र.५२/SNA/SPARSH/२०२४-२५, दि.१०.०९.२०२४.
- ७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५१/कोषा प्रशा-४, दि.१०.१०.२०२४.
- ८. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५१/कोषा दि.११.१०.२०२४. प्रशा-४,
- ९. शासन निर्णय समक्रमांक दि.१५.७.२०२५

#### प्रस्तावना :-

केंद्र शासन व राज्य शासन या दोन्ही स्तरांवरील रोख व्यवस्थापनामध्ये अधिक परिणामकारकता साधण्यासाठी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली, राज्याची एकात्मिक वित्तीय व्यवस्थापन माहिती प्रणाली आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेची ई-कुबेर प्रणाली यांच्या एकात्मिक रचनेच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत योजनांचा निधी वितरीत करण्यासाठी "SNA-SPARSH" (समायोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण - Real Time System of Integrated Quick Transfer) ही निधी प्रवाह कार्यपद्धती प्रस्तावित करण्याचा निर्णय भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने संदर्भ क्र.४ येथील आदेशान्वये घेतला आहे.

२. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने संदर्भ क्र.५ येथील कार्यालयीन ज्ञापनान्वये "SNA-SPARSH" अंतर्गत अंमलबजावणीसाठी अतिरिक्त २२ योजना आणि १० राज्ये यांचा नव्याने अंतर्भाव करण्यात आला आहे. नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या १० राज्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा देखील समावेश आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाच्या निर्देशांस अनुसरुन, "SNA-SPARSH" अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत

योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या संबंधित विभागाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये संलग्नित योजना निहाय स्वतंत्र आहरण खाते उघडणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी वित्त विभागाने संदर्भ क्र.७ येथील शासन निर्णयान्चये महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या २६ केंद्र पुरस्कृत योजनांतर्गत एकूण ६९ राज्य संलग्नित योजनांसाठी भारतीय रिझर्व बँक येथे प्रत्येकी एक स्वतंत्र आहरण खाते उघडण्यास मान्यता प्रदान केली असून संदर्भ क्र.८ येथील परिपत्रकान्चये सदर बँक खाते उघडण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

३. उपरोक्तप्रमाणे मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या एकूण २६ केंद्र पुरस्कृत योजनांपैकी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांकरीता भारतीय रिझर्व्ह बैंक येथे प्रत्येकी एक स्वतंत्र आहरण खाते उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असून, वित्त विभागाने सदर बैंक खाते उघडण्यासाठी अनुसरावयाच्या कार्यपद्धती विचारात घेऊन, समाजकल्याण आयुक्तालय स्तर, इ. स्तरांवर "SNA-SPARSH" कार्यपद्धतीच्या प्रयोजनार्थ प्रत्येक राज्य संलग्नित योजनेसाठी समन्वय अधिकारी तसेच एकल समन्वय यंत्रणा यांची नियुक्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यास अनुसरुन शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.

## शासन निर्णय :-

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा वाचा क्र.९ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांनिहाय "SNA SPARSH" या कार्यपद्धतीच्या प्रयोजनार्थ पुढीलप्रमाणे राज्य संलग्नित योजनानिहाय समन्वय अधिकारी तसेच एकल समन्वय यंत्रणा यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.

| योजनेचे नांव  | राज्य संलग्नित योजनांचे   | समन्वय अधिकारी (Nodal   | एकल समन्वय यंत्रणा     |
|---|---|---|------------------------|
|   | संकेतांक व नांव   | Officer) व स्टेट स्कीम  | (Single Nodal Agency)  |
|   |   | मॅनेजर (SSM)  |                        |
| 2063 Government Of India Post Matric Scholarship/Stipends (Administrative Expenses)   | MH220 MH-Government Of India Post Matric Scholarship/ Stipends (Administrative Expenses)  | सह /उप सचिव (शिक्षण-<br>१) , सामाजिक न्याय व<br>विशेष सहाय्य विभाग,<br>मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ |                        |
| Pre-matric Scholarships for SC Students (Administrative Expenses)   | MH219 Pre-matric Scholarships for SC Students (Administrative Expenses)   |   | आयुक्त, समाजकल्याण,    |
| 9488<br>Strengthening Of Machinery<br>For Enforcement Of Protection<br>of Civil Rights Act, 1995 and<br>prevention of Atrocities Act,<br>1989 (State share 50%) | MH221 Strengthening Of Machinery For Enforcement Of Protection of Civil Rights Act, 1995 and prevention of Atrocities Act, 1989 (State share 50%) | सह / उप सचिव (सामासू),<br>सामाजिक न्याय व विशेष<br>सहाय्य विभाग, मंत्रालय,<br>मुंबई-४०००३२    | महाराष्ट्र राज्य, पुणे |

| योजनेचे नांव  | राज्य संलग्नित योजनांचे   | समन्वय अधिकारी (Nodal                           | एकल समन्वय यंत्रणा       |
|---|---|---|--------------------------|
|   | संकेतांक व नांव   | Officer) व स्टेट स्कीम                          | (Single Nodal Agency)    |
|   |   | मॅनेजर (SSM)                                    | (c.i.g.c receion geney,  |
| 3967  | MH209   | सह / उप सचिव                                    | अवर सचिव                 |
| Pradhan Mantri AnusuchitJaati<br>Abhyuday Yojna (PM-AJAY)<br>(Central Share 100%)           | MH-Special Central<br>Assistance  | (अर्थसंकल्प), सामाजिक                           | (अर्थसंकल्प), सामाजिक    |
|   |   | न्याय व विशेष सहाय्य                            | न्याय व विशेष सहाय्य     |
|   |   | विभाग, मंत्रालय, मुंबई-                         | विभाग, मंत्रालय, मुंबई-  |
| (Umbrella Scheme)   |   | 800032  | 800032                   |
|   | MH487<br>Pradhan Mantri Adarsh<br>Gram Yojana   | सह / उप सचिव (अजाक),                            | 3 41                     |
|   |   | सामाजिक न्याय व विशेष                           |                          |
|   |   | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,                         |                          |
|   |   | मुंबई-४०००३२                                    |                          |
|   | MH488   | सह / उप सचिव                                    | ।<br>आयुक्त, समाजकल्याण, |
|   | Babu Jagjivan Ram<br>Chhatrawas Yojana  | (बांधकामे), सामाजिक                             | महाराष्ट्र राज्य, पुणे   |
|   |   | न्याय व विशेष सहाय्य                            | 101(1-2) (104, 3-1       |
|   |   | विभाग, मंत्रालय, मुंबई-                         |                          |
|   |   | ४०००३२  |                          |
|   |   | ४०००३२<br>सह / उप सचिव (सामासू),                | आयुक्त, समाजकल्याण,      |
| 3817  | MH524   | सामाजिक न्याय व विशेष                           | 9                        |
| National Action Plan For Drug<br>Demand Reduction   | National Action Plan For  | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,                         | महाराष्ट्र राज्य, पुणे   |
| (NAPDDR) Central Share  | Drug Demand Reduction   | · ·   |                          |
| 100%  | (NAPDDR) Central Share 100%   | मुंबई-४०००३२                                    |                          |
| 3163<br>Indira Gandhi National Old  | MH218   | सह / उप सचिव (विसयो),                           | अवर सचिव (विसयो),        |
|   | Indira Gandhi National Old<br>age Pension Scheme  | सामाजिक न्याय व विशेष                           | सामाजिक न्याय व विशेष    |
|   |   | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,                         | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,  |
| age Pension Scheme  |   | मुंबई-४०००३२                                    | मुंबई-४०००३२             |
|   |   | सह / उप सचिव (विसयो),                           | अवर सचिव (विसयो),        |
| 3167<br>Indira Gandhi National Widow<br>Pension Scheme                                      | MH214<br>Indira Gandhi National<br>Widow Pension Scheme   | सामाजिक न्याय व विशेष                           | सामाजिक न्याय व विशेष    |
|   |   | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,                         | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,  |
|   |   | मुंबई-४०००३२                                    | मुंबई-४०००३२             |
|   | MH215<br>Indira Gandhi National<br>Disability Pension Scheme                                      | सह / उप सचिव (विसयो),                           | अवर सचिव (विसयो),        |
| 3169  |   | सामाजिक न्याय व विशेष                           | सामाजिक न्याय व विशेष    |
| Indira Gandhi National Disability   |   | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,                         | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,  |
| Pension Scheme  |   | मुंबई-४०००३२                                    | मुंबई-४०००३२             |
|   | MH216 National Family Benefit Scheme - Assistance to the families Below Poverty line (Gen ) (CSS) | सह / उप सचिव (विसयो),                           | अवर सचिव (विसयो),        |
| 3166  |   | सामाजिक न्याय व विशेष                           | सामाजिक न्याय व विशेष    |
| National Family Benefit Scheme - Assistance to the families Below Poverty line (Gen ) (CSS) |   | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,                         | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,  |
|   |   | मुंबई-४०००३२                                    | मुंबई-४०००३२             |
|   | (3011) (330)  | सह / उप सचिव (सामासू),                          | 3                        |
| <b>3968</b> Atal Vayo Abhyuday Yojna (AVYAY)  | Atal Vayo Abhyuday Yojna (AVYAY)  | सह ७ उप साचव (सामासू),<br>सामाजिक न्याय व विशेष | आयुक्त, समाजकल्याण,      |
|   |   |   | महाराष्ट्र राज्य, पुणे   |
|   |   | सहाय्य विभाग, मंत्रालय,                         |                          |
|   |   | मुंबई-४०००३२                                    |                          |

- २. समन्वय अधिकारी हे त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कार्यासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजना सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर "SNA-SPARSH" मार्फत राबविण्याच्या दृष्टीने समन्वयाचे काम करतील.
- 3. एकल समन्वय यंत्रणा केंद्र शासन तसेच राज्य शासन यांचेमार्फत केंद्र पुरस्कृत योजनांची सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीवर "SNA-SPARSH मार्फत अंमलबजावणी करण्याकरिता निर्गमित केलेल्या सूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन एकल समन्वय यत्रणा यांनी आवश्यकतेनुसार तात्काळ कार्यवाही करावी.
- 8. उपरोक्त परिच्छेद १ प्रमाणे नियुक्त समन्वय अधिकारी व एकल समन्वय यंत्रणा यांनी केंद्र पुरस्कृत योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापन याबाबत केंद्र शासनाचे संदर्भ क्र.४ व ५ अन्वये प्राप्त झालेले निर्देश आणि वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ८ व ९ अनाये निर्गमित केलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
- ५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन निर्णय क.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५१/कोषा प्रशा-४ दि.१०.१०.२०२४ व शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.५१/कोषा प्रशा-४, दि.११.१०.२०२४ अन्वये निर्गमित केलेल्या व वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणा-या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२५०८१३१५००३८२०२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने

(प्रशान्त पुं. वाघ) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

### प्रत,

- १. महालेखापाल, महालेखाकार कार्यालय (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) १-२/ मुंबई/ नागपूर
- २. मा. मंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ३. मा. मंत्री (विशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ४. मा. राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.
- ५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
- ६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई
- ७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक.
- ८. सचिव (लेखा व कोषागारे), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई
- ९. सर्व जिल्हाधिकारी
- १०. आयुक्त, समजाकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
- ११. वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थ-७/कोषा प्रशा-४ व ५)

- १२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई-३२
- १३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई-३२
- १४. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई-३२
- १५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई-३२
- १६. सर्व उप सचिव/ अवर सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १७. सर्व कक्ष अधिकारी, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- १८. निवड नस्ती, अर्थसंकल्प (विघयो)